न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–48/2018–19

प्रमीला देवी...अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
24.08.18	अपीलार्थी प्रमीला देवी, पति–आचु सिंह मुण्डा, ग्राम–हुसेरहातु, पो०–तैमारा, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–270 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–10/05/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
ताऊ	बुण्डू/0027	125	233	04 डीसमील

अपीलार्थी को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि मैंने श्रीमती बीबी देवी, पति–मदन सिंह गोंझू, ग्राम–बुण्डू थाना टोली, डाकघर–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची से निबंधन पट्टा सं०–2591/2259 द्वारा दिनांक–08/02/2008 को क्रय किया है जिसका दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में आवेदन दिया जिसे अस्वीकृत कर दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०270 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–10/05/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार सुनवाई की तिथि को आवेदक कोटि से संबंधित दस्तावेज के साथ उपस्थित नहीं हुए। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी से वांछित दस्तोवज प्राप्त कर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अपीलार्थी के नाम से करने हेतु नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

24/08/18
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

24/08/18
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।